"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195]　　रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 जून 2011—ज्येष्ठ 17, शक 1933

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-24/2009/वाक (पं.)/पांच (33).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्रमांक-बी-7(ए)-149-1981-पांच-पृ.आ., दिनांक 30 जनवरी, 1984 में प्रकाशित छत्तीसगढ़, पंजीयन तथा मुद्रांक सेवा (विज्ञप्ति) भर्ती नियम, 1984 की अनुसूची-चार में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम की अनुसूची में,

1. कॉलम (2) की पांचवी पंक्ति में उल्लिखित "उप पंजी.. क प्रवर श्रेणी" के स्थान पर "उप पंजीयक" प्रतिस्थापित किया जाये,

2. कॉलम (2) की पांचवी पंक्ति में उल्लिखित "उप पंजीयक प्रवर श्रेणी" के सम्मुख कॉलम (3) में अंकित न्यूनतम सेवा अनुभव "2 वर्ष" के स्थान पर "10 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये,

3. अनुसूची-चार के नीचे उल्लिखित टीप क्रमांक-1 विलोपित की जाये.

4. अनुसूची-चार के नीचे उल्लिखित टीप क्रमांक-2 विलोपित की जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.